न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या. 01 / 2026
किस्म :– अपील
दायर दिनांक : 03.02.2026
निर्णय दिनांक: 24.03.2026

अनवान

1– जीवनलाल पुत्र रोशनलाल जाति महाजन निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये, तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

रेस्पोडेट

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरण संख्या 675 निर्णय दिनांक 31.12.1979 व नामान्तरण संख्या 998 दिनांक 02.09.1986

उपस्थित :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण – राकेश सनाढ्य
अधिवक्ता विप्रार्थीगण– पैरोकार सरकार

:: निर्णय ::

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवदन किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा में आराजी संख्या 1888 / व 1889 / 1 भूमि स्थित है, जो पूर्व में शंकरलाल पिता [illegible]लाल जी महाजन के नाम दर्ज थी। यह कि वर्ष 1978 में आराजी संख्या 1889 / 1 में से अपीलान्ट ने तत्कालीन खातेदार शंकरलाल जी से 13 बिस्वा भूमि क्रय की थी, जिसका नामान्तरण संख्या 682 दिनांक 08.07.1978 खोला गया, और अपीलान्ट खातेदार कृषक हो गया। यह कि नामान्तरण संख्या 675 बाद में फेसल किया गया, और अपीलान्ट के खाते की क्रयशुदा रकबे में [illegible] बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई, जो कानुन के विपरित दर्ज की गई थी। यह कि शंकरलाल जी महाजन तत्कालीन खातेदार ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में प्रस्तुत किया, और बताया कि उसे जो भूमि सडक में गई है, उसका मुआवजा उसे मिल गया है। इस [illegible] भूमि पी.डब्ल्यु.डी के नाम पर दर्ज करने का पृष्ठांकन रिस्पोडेन्ट तत्कालीन तहसीलदार, रेलमगरा के इस आशय का दर्ज किया कि आराजी संख्या 1888 में से 14 बिस्वा आराजी संख्या [illegible] में से 1 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाकर [illegible] आदेश गलत दिया गया । यह कि अपीलाण्ट ने शंकर लाल जी महाजन से कुल 13 बिस्वा भूमि आराजी संख्या 1889 में से क्रय की, और उसका नियमानुसार नामान्तरण खोला गया, और [illegible] आज भी काबिज होकर उपयोग कर रहे है। यह कि रेस्पोण्डेन्ट ने नामान्तकरण संख्या [illegible] खोला है। उसमें रकबे का ध्यान नही रखा गया, और दिनांक 29.08.1986 को नामान्तरण [illegible] पटवारी द्वारा भरा जाकर आराजी संख्या 1888 में से 14 बिस्वा आराजी संख्या 1889

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

से पांच बिस्वा भूमि अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत उदयपुर के पत्र क्रमांक 1678 दिनांक 13.06.1986 के सम्बन्ध में भर दिया, और उसी अनुरूप बिना जांची कय फेसल कर दिया गया। जो गलत है।यह कि तत्कालीन खातेदार शंकरलाल महाजन के नाम पर जो भूमि आराजी संख्या 1889 में दर्ज थी, उसमें से 5 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार नामान्तकरण संख्या 998 से और दर्ज कर दी गई, जो अपीलांट के रकबे में कम कर दी गई संवत 2032 से 2035 की जमाबन्दी में आराजी संख्या 1889 का रकबा 1 बिघा 5 बिस्वा दर्ज था उसमें से आधी जमीन अपीलांट ने कय कर ली, और नामान्तरकरण संख्या 582 से अमल दरामद कर दिया गया। बाद में नामान्तरकरण संख्या 998 व 675 से स्थिति बदल कर अपीलाण्ट को 5 बिस्वा रकबा कम कर दिया है, जिससे पीड़ित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का भौतिक रूप से मौके पर 13 बिस्वा भूमि पर आधिपत्य कय करने की दिनांक से लगातार चला आ रहा है। यह कि नामान्तरकरण संख्या 675 व 998 गलत तरीके से बिना जांच पडताल के अनियमितता करते हुए, एक ही जमीन के दो बार नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल किये गये है, जो काबिल निरस्त है।अन्य तुजरात वक्त बहस अर्ज किये जावेगें। यह कि अपीलांट को नामान्तरकरण संख्या 675 व 998 का प्रथम मर्तबा ज्ञान दिनांक 12.10.2004 को प्राप्त होने पर यह अपील बिना देरी के प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 675 व 998 अप्राप्त फरमाये जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेट संख्या 1 ने उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया तो जाहीर आया कि अपीलांट द्वारा नामान्तरण संख्या 675 निर्णय दिनांक 31.12.1979 व नामान्तरण संख्या 998 दिनांक 02.09.1986 की अपील 2004 में प्रस्तुत की गई, इतनी देरी से प्रस्तुत किये जाने का कोई वास्तविक कारण प्रस्तुत नही किया गया। तथा वादग्रस्त भुमि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पर होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग भी आवश्यक पक्षकार था जिसे अपीलांट द्वारा पक्षकार नही बनाया गया।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त कि जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा